



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट- सी सं० - 1484 वर्ष 2026

मसरूर हुसैन
बनाम

..... याची(गण)

30प्र० राज्य तथा 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : बलवीर सिंह

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याची ने अन्य बातों के साथ प्रत्यर्थी सं० 3 अर्थात् तहसीलदार सदर, जिला अमरोहा की 30प्र० राजस्व संहिता, 2016 की धारा 33(1) के अन्तर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 19-11-2025 का विनिश्चय करने का निदेश देने के अनुरोध के साथ वर्तमान रिट याचिका अधिमानित किया है। आगे अनुरोध किया गया है कि याची के आवेदन का विनिश्चय मुस्लिम स्वीय विधि (शरिअत) आवेदन अधिनियम, 1937 की धारा 2 के दृष्टिगत किया जा सकता है।

2. याची के अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।

3. उपस्थित पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

4. पक्षकारों के अधिवक्ता के सहमति से, प्रत्यर्थी सं० 3 अर्थात् तहसीलदार सदर, जिला अमरोहा जिसके समक्ष याची द्वारा दाखिल पूर्वोक्त आवेदन लंबित है को अनावश्यक स्थगन दिये बिना सर्वथा विधि के अनुसार उपर्युक्त पर निर्णय लेने का निदेश देते हुए वर्तमान याचिका को अंततः निपटाया जाता है।

जनवरी, 20, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"